

की कोशिश करता है और अपनी सैप मिटाने के लिये नये-नये बहानों की तलाश करता है। जिनके टी.वी. रिमोट कंट्रोल में चलते हैं, उन्हें तो उस समय वह यंत्र बैटरीय उपहार जैसा लगता है और रिमोट कंट्रोल को एक नियामत मानकर उसका उपयोग करते हुये बच्चों की आंखों से बचाने का प्रयत्न करते हैं।...

उपसभापति : आप भाषण नहीं कर रही हैं, स्पेशल मेंशन कर रही हैं। You have made your point. Now, please sit down

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन, महोदया, मुझे जो ओपरेटिव पार्ट है वह तो कहने दीजिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Then you talk about operative parts; do not talk about fringes.

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं ही नहीं, हम सब मानते हैं कि भारतवर्ष की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये परिवार-नियोजन कार्यक्रम जरूरी है और मैं यह भी मानती हूँ कि किसी भी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिये दूरदर्शन बहुत ही प्रभावी माध्यम है। लेकिन, महोदया, दूरदर्शन पर परिवार-नियोजन कार्यक्रम क्रिमी और स्वरूप में भी तो दिया जा सकता है और अगर सीज स्वरूप में दिखाना जरूरी है तो इसके समय में फेर-बदल किया जा सकता है। महोदया, आप जानती हैं कि दोपहर के कार्यक्रम केवल महिलायें देख पाती हैं, बच्चे उस समय स्कूल गये होते हैं, इसलिये अगर इम विज्ञापन को इसी स्वरूप में दिखाना है तो दिन के समय दिखायें। रात्रि के समय केवल-छोटा परिवार, मुख्य परिवार होता है और इसके उपायों की जानकारी समीप के स्वास्थ्य केन्द्र से हासिल करें, इम तरह की बात की जा सकती है।

उपसभापति : पुरुषों को भी दिखाना होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, क्या यह जरूरी है कि इम

नरह के उपायों की चर्चा करके टी.वी. के दर्शकों को सैप की स्थिति में लाया जाये। हर काम को करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को तौलना बहुत जरूरी है और अगर किसी काम से नुकसान ज्यादा और फायदा कम हो तो उस पर रोक लगनी चाहिये। तो मैं अपने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से, आपके द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्री में यह अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस पर विचार करें और खुद रुचि लेकर रात्रि के इस विज्ञापन के समय या स्वरूप को बदलवा कर दूरदर्शन के सभी दर्शकों को रोजमर्रा की इस दृविधा और सैप में निजात दिलवायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for one hour for lunch.

The House the adjourned for lunch at forty-five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-eight minutes past two of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

THE NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN BILL, 1990.
—Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Before we proceed with the further discussion on the Bill, I would like to point out that the time allotted for this Bill has been exhausted. In fact, we have taken fourteen minutes more. There are many Members to speak still and then the Minister has to reply. Then, we have also the amendments to be moved and voted before the Bill is passed. I feel that every day we discuss in the House. औरतों पर अत्याचार और बलात्कार। एक ऐसा बिल जिसके द्वारा कि अत्याचार और बलात्कार की रोकथाम हो। हमारी बहुत सी महिला सदस्यों ने कहा, कुछ पुरुषों ने भी कहा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ... (व्यवधान) ... अटल जी ने भी कहा था, मुझसे फोन पर कहा था। सबने कहा? ... (व्यवधान) ...

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra) : Madam, I say that my heart beats for women. That is why I should be permitted to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN : If it does not bleed, I will be very happy. तो मैं समझती हूँ कि हम लोग आधा घंटा और इस चर्चा को दे दें और 04.00 बजे किसी भी हालत में खत्म करना है ।

श्रीमती मारग्रट आल्वा (कर्णाटक) : नहीं, नहीं। टाइम ज्यादा दे ।

उपसभापति : आप कितना समय लेंगी ?

क. राण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : मैं 40-45 मिनट लूगी ।

उपसभापति : 40-45 मिनट तो इन लोगों के लिए भी नहीं है । 04.00 बजे मुझे किसी भी हालत में बिल खत्म करना है इसलिए आधा घंटा आप ले लीजिए । वोटिंग में भी समय जाएगा । इसलिए हम आधा घंटा इसमें और दे देते हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहनुवालिया : (बिहार) महोदया, सबसे ज्यादा अत्याचार आप मेरे ऊपर करेंगी । . . . (व्यवधान) . . .

उपसभापति : आप महिला नहीं हैं, आप बैठ जाइए । . . . (व्यवधान) . . . सत्या बहिन, आप बोल रही थीं । जरा संक्षिप्त करके सिर्फ प्वाइंट्स बोल दीजिए क्योंकि भूमिका जो सबसे बनाई है, वह एक जैसी ही है ।

श्री मती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति महोदया, वैसे तो यह विधेयक अभी आने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस बात को स्वीकार किया है । सवाल यह है कि महिलाओं पर अत्याचारों को सबसे पहले रोका जाना चाहिये और जब तक अत्या-

चार नहीं रूकते हैं तब तक इस विधेयक के द्वारा कुछ भी किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है और यह विधेयक मैं समझती हूँ कि इसमें अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि यह तो एक चाकलेट का खाली पैकेट है, अंदर कुछ नहीं है, केवल एक दिखावामात्र है । इसमें कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया है उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है । दुर्भाग्य यह है कि जो महिला भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का सृजन करती है—माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में उस महिला की आज याचक की स्थिति हो गयी, कुछ मांगने की स्थिति हो गयी । मैडम, मैं यह कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार ने जो कुछ योगदान किया है महिलाओं को अधिकार देने में महिला कल्याण हेतु उसमें समितियाँ बनायी गयी । सन् 52 से तो समाज कल्याण बोर्ड ही काम कर रहा है । इसका पहला गठन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में हुआ था । उसने बहुत सा काम किया । इसके बाद सन् 71 में एक समिति गठित हुई फूल रेतुगुट्ट की अध्यक्षता में, जिसने पूरे अध्ययन किया और महिलाओं के लिये जो सिफारिशें कीं और कांग्रेस सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार किया । इसके बाद में मैडम, कांग्रेस सरकार ने जहाँ तक अधिनियमों का और विधेयकों का संबंध है, उसमें बाल विवाह हेतु शारदा एक्ट पारित किया था । इसके बाद दहेज विरोधी अधिनियम बनाकर महिलाओं की सुरक्षा की गयी और इसके साथ ही परिवार न्यायालय विधेयक लागू किया गया । कांग्रेस सरकार द्वारा विधेयकों को दत्तक ग्रहण करने का अधिकार दिया गया । सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया गया और मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि गत वर्ष स्थानीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण की 30 प्रतिशत की व्यवस्था की थी महिलाओं को देने के लिये जो पंचायती राज्य विधेयक लाया गया था और यही लोग जो आज सरकार में बैठे हैं इन लोगों के विरोध की वजह से वह बिल पास नहीं हो सका । मैडम, मैं यह कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सबसे पहले स्वावलंबी बनाया

जाना चाहिये । जब तक महिलायें स्वावलम्बी नहीं बन सकती है तब तक कोई कानून उनका कोई विशेष सहारा नहीं बन सकता है । महिलाओं के लिये बहुत सी दिक्कतें हैं, चाहे वह श्रमजीवी महिला हो, बुद्धिजीवी महिला हो या घर में काम करने वाली महिला हो ।

मैडम, मैं एक बात की तरफ आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो महिलायें जेलों में हैं उनकी स्थिति काफी खराब है । पिछले दिनों मैं श्री कुमारी सईदा खातून कुछ केन्द्रीय कारागारों में गयी थी और वहाँ महिलाओं की हालत को देखा । कुछ महिलायें तो वहाँ ऐसी हैं जिनके घर वालों को ही पता नहीं है कि वह हैं कहां ? न उनके वच्चों को मालूम है, न पतियों को, न पिताओं को मालूम है कि वह कहां पर हैं ? वे किसी प्लेटफार्म पर घूमती हुई मिली तो पकड़ ली गयी, कभी कहीं रास्ते में अकेली पकड़ ली और उनको जेल में डाल दिया गया । ऐसी महिलाओं को संरक्षण सरकार को देना चाहिये, उनकी देखभाल की जानी चाहिये और उनको कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिये । मेरा निवेदन एक यह भी है कि जो महिला आयोग बनाया जा रहा है इसमें महिलाओं के लिये विशेष अदालतें भी गठित की जानी चाहिये । वे महिलायें जो बलात्कार का शिकार या अन्य तरह के अनैतिक जुल्मों की शिकार महिलाएं हैं उनकी सुनवाई विशेष तौर पर महिला जजों द्वारा ही की जानी चाहिये, क्योंकि अन्याचारों से पीड़ित बहुत सी महिलायें ऐसी हैं जो कानूनी प्रक्रिया के अंदर सुनवाई में ठीक से भाग नहीं ले पाती है, क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक बातें वकीलों या जजों द्वारा पूछी जाती हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें महिला अदालतों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और मैडम, इस महिला आयोग के संबंध में मेरा एक सुझाव यह है कि इसमें अद्वैत का स्तर क्या है यह कुछ पता ही नहीं चलता है । पता नहीं अध्यक्ष का स्तर सचिव का स्तर होगा या मंत्री का स्तर होगा या क्या स्तर होगा ? और इसमें केन्द्र

सरकार की मैं समझती हूँ कि ...
(व्यवधान)

उपसभापति : सत्य बहिन आप कृपया बिल के ऊपर बोल लीजिये ।

श्रीमति सत्या बहिन : जी मैडम, इसमें खण्ड-5 में दिया गया है कि केन्द्र सरकार ही निश्चित करेगी कि आयोग की आवश्यकता क्या है ? आयोग को यह अधिकार नहीं है, यह स्वतंत्रता नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये उसकी जरूरतें क्या हैं उसके संबंध में केन्द्र सरकार सुनिश्चित करेगी, आयोग को अधिकार नहीं है । इसमें तो मैं ही समझती हूँ कि आयोग के पास कोई अधिकार ही नहीं है । यह अधिकारहीन आयोग है और जो अधिकारहीन आयोग है वह महिलाओं को क्या अधिकार दिला सकता है ? मैडम, सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया इतनी ढीली है कि जब चाहे केन्द्र सरकार हटा देती है । इसमें एक तरह से केन्द्र सरकार की और जो भी सरकार होगी, कहीं किसी भी दल की सरकार हो वह एक तरह से आयोग उसकी कठपुतली बनकर रह जायेगी ।

महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जब समाज कल्याण बोर्ड का गठन हुआ था या अन्य समितियां बनी थीं तो कांग्रेस सरकार ने उन्हें किसी भी राजनैतिक पूर्वाग्रह के मुक्त रखा था । इसी तरह से इस आयोग को भी राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखना चाहिए, जो कि इस सरकार की नीयत नहीं है ।

महोदया, जहां तक आयोग की काम-याबी का सवाल है तो यह तो सरकार की प्रतिबद्धता पर, उसकी ईमानदारी पर और उसके संकल्प पर निर्भर करता है और मैं समझती हूँ कि ये सब बातें आज की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में नहीं हैं । महोदया, पहले तो मुझे इसमें शंका है कि महिलाओं को यह आयोग क्या दे सकता है । महोदया, जो कानून अभी तक महिलाओं के लिए बनाए गए हैं अगर उन्हीं पर ठीक ढंग से अमल नहीं हो पा

[श्रीमति सत्या बहिन]

रहा है तो इस आयोग के द्वारा कौन सा काम हो सकता है ? मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अभी 20 अगस्त, 1990 की तारीख को बुझनू में सती मेले का जो आयोजन किया गया है तो क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से यह पूछेगी कि उसने इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया और इसका आयोजन क्यों होने दिया गया ?

महोदया, बालिका वर्ष में जो छोटी-छोटी 8-10-12 वर्ष की बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों से बलात्कार की जो घटनाएँ हो रही हैं, उनको रोकने के लिए सरकार अति शीघ्र कारगर कदम उठाए और दोषियों को कड़ा दंड दिया जाए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam) : Madam, I welcome the move of the Government to introduce the Bill on National Commission for Women. I feel it was long overdue. That is why we have seen that the lady Members, cutting across party lines, have supported this. I thank all of them.

Mrs. Margaret Alva in her speech yesterday gave a thorough background of the National Committee on Women. According to her, the Congress Party did every thing for women. But they failed to deliver anything. The Congress Party, in 1988, planned it, conceived it, but unfortunately it would not deliver. That is why even after three years it is a still-born child.

Women have faced social, economic and political discrimination in many countries, more so in the developing and under-developed countries. Where illiteracy and poverty have gained ground, the women are the worst sufferers.

Many laws have been passed in Parliament and in different State Assemblies. But all the laws or legislations could not improve the lot of the women. According to

1981 census, women comprise 49% of the total population of the country. Among them, 78 per cent live in rural areas. Only 118 are employed in the Government sector and hardly 20 per cent are in the recognised private sector. Here I do not want to mention the case of self-employed women who are working in responsible position in different fields.

The Constitution of India provides for equal rights and privileges for men and women and makes special provisions for women to help them, so that they can come to the forefront in national life. Article 14 provides that State shall not deny to any person equality before law or equal protection under law. It is so in the case of women also. What we have seen is a prevalent social system with all its traditions, customs and conventions creating a sort of disrespectful and disgraceful atmosphere to keep women in utter subjugation for years together. What is seen is lack of proper motivation. Women are yet to be awakened to the need of the hour. All the social moorings put women in such a state that they cannot realise the grave social, moral, cultural and economic injustice done to them through the ages. In that they cannot realise what rights have been given to them by the Constitution or by other laws. That is why women never protest, or their protest is not loud enough. So, fortunately enough, this National Commission for Women Bill has been brought now.

Madam, I feel that so long as the Indian society fails to realize or recognize the strength of women, be it moral or be it physical, the lot of women in this country can never be changed, can never be altered. We have seen through the pages of history how women can endure in the face of extreme suffering, how they stand like a rock when the family is in distress or in great suffering.

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : इनकी तकरीर में शौहर जो बर्दाश्त करते हैं उनका कोई जिक्र नहीं है...

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : मैंने तो पहले बोला था— 78 per cent of the women live in village areas.

उपसभापति : वह शहर नहीं, शौहर कह रहे हैं। शौहर मीन्स हस्बैंड.....

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : मैं हिन्दी कम समझती हूँ। My point is, husbands may suffer to some extent, but the worst sufferers are women.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : It is the other way round. You must protect your own people, Madam... (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I sit here as the Deputy Chair man, not as anybody's wife or husband!

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh) : She is only a spouse !... (Interruptions)...

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Madam, here I recall a very valuable statement made by Gandhiji. He said : To call women the weaker sex is libel and it is man's injustice to woman. And, if by strength it is meant brute strength, then, indeed woman is less brute. If by strength it is meant moral power, then woman is immeasurably superior to man. That is the opinion of Gandhiji and I think every one present here will agree with this statement of Gandhiji.

Madam, in this background, especially in the Year of the Girl-Child, it is a really laudable and welcome step that the National Front Government has taken in bringing this Bill on the National Commission for Women. The National Front Government has a commitment to the nation and to women also. In the manifesto of the Na-

tional Front, they promised to set up a National Commission for Women, and the Bill is here. I welcome it, I appreciate it.

Madam, what we have seen is that women are not only essential human resources, but they have proved that if given the opportunity they can prove themselves superior to men.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I agree with you.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Yes, like you... (Interruptions).. It is not only my opinion, but it is also the opinion of the country.

So, I hope the National Commission for Women will rightly work for the rights and opportunities of women, will uplift women, work for the cause of women and redress all the grievances that women have had for ages and ages.

Thank you, Madam.

उपसभापति : श्री गुरुदास दासगुप्ता जी। बहुत ही संक्षेप में बोलिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : इनका नाम गुरुदास है, कहीं पत्नीदास न हों ...

उपसभापति : गुरु के दास हैं या देवी के दास है, ये वही बताएंगे अपनी स्पीच में।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam Deputy Chairperson, rise to give masculine support to the cause of feminine emancipation. The point is, it cannot be objected to that women are second grade citizens in this society even today, after so many years of Independence.

Madam, in a society dominated by man, in a country where male chauvinism runs rampant, in a system where a newly-wed woman

[Shri Gurudas Das Gupta]

can decide even to do away with her potential motherhood if it is found that she will have to give birth to a female child, in a country where *sati* is still practised, in a society where discrimination of sex goes on unbridled, in a place where woman is still considered to be a commodity that can be exchanged for gain or given up for loss, in a country where woman is still held out as an object of allurements, it is unfortunate that a word against male domination is considered to be a weakness by our male friends. It is unfortunate that even today woman is sought to be used by her master in the way he likes. Therefore, in a situation like this, it is quite natural that woman is under-privileged. Women constitute the most unprivileged section of the society. While the Mandal Commission seeks to give protection to the unprivileged, the constitution of this Commission on Women gives some right to women, which was not given before.

But, Madam, let me be very frank that I do not believe that liberation of women can take place from the shackles of social inequality or genuine equality can usher in if the mankind is not liberated from the exploitative system of the society. The question is still unanswered, why a child is known by his father, why a maiden has to change her surname after her marriage, why a woman who loses her husband has to turn vegetarian. Therefore, the right of inequality is deep in the society itself.

Therefore, I believe, Madam, setting of the Commission is one of the many steps that are necessary, and it is a long overdue step.

Madam, please bear with me if I find a little masculine satisfaction.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am bearing with so many men in the House.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Your fight also is manly, Madam.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Please allow me the indulgence of my masculine chauvinism if I say that this one of the many steps needs for the liberation of women is being taken by a Government that is headed by a man. This overdue step had not been taken by the country when it was headed by a woman.

SHRIMATI MARGARET ALVA : There was the National Committee set up by Mrs. Gandhi, if you don't know the fact. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : It is only to our great dissatisfaction that she will have to go into the history that the Committee was set up.....

SHRIMATI MARGARET ALVA : Don't deny the facts which are there.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : The Committee was set up in 1971.

SHRIMATI MARGARET ALVA : Not in 1971, but in 1975. You do not know the facts.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : After that the Committee recommended the setting up of a commission. After the recommendation of the Committee was given, is it not true that somebody was sitting on the file for quite a long time ?

SHRIMATI MARGARET ALVA : No. That was the Committee on the status of women. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please let him speak, Mrs. Alva. The Minister will answer.

SHRIMATI MARGARET ALVA : It is wrong. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let the Minister answer.

SHRI M.A. BABY (Kerala) : Madam, in this debate women should be given opportunity to interrupt.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
No woman will be interrupting, including me.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA :
Is it not true that the country is taking to this path of setting up the Commission when the Government is being headed by a man ? Is it not true that some such step was not taken by the Government when a woman had headed the nation. Therefore, this is how a man overtakes a woman.

SHRIMATI MARGARET ALVA :
He cannot shake off his chauvinism even in this. He is taking credit for this. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA :
While going into the merit of the legislation that has been sought to be brought before the nation, may I say that this measure should have a statutory status. It should have the power of mandatory recommendations.

The Minister, while replying to the debate somewhere, had stated it will be included in the rules. I don't know when the rules are going to be framed. I believe this commission will not be another type of a top-headed bureaucratic system. This Commission must have its roots at the lower-most level, for which this commission is going to be set up. Therefore, I believe this is a step in the proper direction. This is a step that has been taken long after. This is a step which will bring about a partial solution to the problem, but this is one of the many steps that are necessary. What is more important is a mass movement for awakening of social consciousness. More so, along with it the society must come up. Male chauvinistic pattern of our social life must end. It is only by dispensing with that that the liberation of the womanhood can be brought about. I don't feel the Indian nation can be liberated without the liberation of the motherhood. Therefore, in the struggle

that is ahead of us, I believe the commission will be a landmark. But while implementing the principles enunciated for the Commission, the Government will think it better to fill up the loopholes that have been adequately pointed out in the course of the discussion.

कुमारी सरोज खापड़ें (महाराष्ट्र) :
उपसभापति महोदया, मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूँ कि समय की कमी के बावजूद भी सदन की महिलाओं की विनती को स्वीकार किया और मुझे बोलने का मौका प्रदान किया। मेरे पास शब्द नहीं हैं आपके धन्यवाद के लिए।

आज सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग पर हो रही बहस को मेरे साथियों को, बहिनों को सुनते हुए कुछ पंक्तियाँ याद आने लगी हैं और मुझे लगता है कि अगर उन पंक्तियों को मैं आपके सामने पेश करूँ तो इस अवसर पर काफी उचित ढंग से आप इनको समझ सकेंगे। किसी ने सही कहा है कि जिसको सुनने के बाद हमें अहसास होता है कि नारी की वास्तविक दशा क्या है। किसी ने कहा है—

“औरत ने जनम दिया मर्दों को,
मर्दों ने उन्हें बाजार दिया।”

जब जी चाहा कुचला, मसला,
जब जी चाहा दुत्कार दिया।”

किसी हिन्दी कवि ने भी ऐसा ही कहा है। बाजार में स्त्री को भेज दिया गया है। उसकी कराह को लेकर—

“मुल्ला भी आते हैं, पंडित भी आते हैं,
नेता भी आते हैं, जिनके कदमों में झुकती है
दुनिया सारी,
आकर उसके कदमों में झुक जाते हैं।”

खैर, मैं बहुत गहराई में जाना नहीं चाहूंगी। समय बहुत कम है। मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार इस विधेयक को संसद के सामने लाई है। मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ।

[कुमारी सरोज खापर्डे]

काफ़ी सोचने के बाद भी मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बिल को इतनी जल्दी लोक सभा से पास कर राज्य सभा में लाकर पेश करने का क्या कारण है? इसमें इतनी जल्दबाजी सरकार क्यों कर रही है? इसका क्या कारण है। महोदया, (व्यवधान) आप सुनिये। आप तो नई हैं। राज्य सभा में तो अभी अभी आपका जन्म हुआ है। (व्यवधान)

महोदया, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ही नहीं उधर सत्ताधारीपक्ष में जो बैठे हुए लोग उपस्थित हैं, सदन में, उन्होंने भी कई बार आपस की चर्चा में इस चीज को कहा है जिसको मैं यहां पर बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार इस बिल को इतनी जल्दी क्यों पास कराना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को निश्चितरूप से इसकी कल्पना है कि उनके पैरों की धरती धीरे धीरे खिसकने लगी है। संसद की सीटों की बात की डर से, मुझे लगता है कि इस बिल को पास करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने लोकप्रिय हैं ताकि चुनाव में हमारी विजय हो और हम फिर सत्ता में आ सकें।

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं देश की आधी आबादी की हिस्सेदारी महिलाओं की है। इसके मायने यह है कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इस आधे हिस्से के महत्व को सब जगह माना जाता है। मैं नहीं समझती हूँ कि सदन में जो हमारे भाई उपस्थित हैं वह इस बयान को नजरअन्दाज कर सकते हैं। परन्तु इतना सारा होने के बावजूद भी अभी तक हर महिला के मन में एक प्रश्नचिह्न है और यह प्रश्न चिह्न है कि महिलायें इतनी संख्या में, आबादी का आधा हिस्सा होने के बावजूद भी अपने आप को इतना सप्रेम क्यों मानती हैं? वह इतनी समस्याओं से क्यों घिरी रहती हैं और क्यों इतना कठिनाई का जीवन व्यतीत करती हैं? इसका भी कुछ कारण होना चाहिए। सुपमा जी आज यहां पर नहीं हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि महिलाओं के बारे

में शास्त्रों में कहीं कहा गया है कि वे बड़ी पूजनीय हैं, कहीं कहा गया है कि महिलायें परिवार की एक ऐसी कड़ी हैं जो मोतियों को पिरोकर, परिवार के सदस्यों को साथ रखकर उनकी शक्ति प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, परिवार के सब लोगों को साथ लेकर वह अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। इतना होने के बावजूद भी उनकी प्रताड़ना की केन्द्र ही नहीं बल्कि शिकार भी होना पड़ता है। महोदया, क्या यह सच है कि प्रताड़ना का केन्द्र, प्रताड़ना का शिकार महिलाओं को अशिक्षित होने के कारण होना पड़ना है? आप क्या इसकी गहराई में जाकर इसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगी।

उपसभापति : प्रताड़ना क्या होती है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : प्रताड़ना का मतलब होता है महिलाओं की हमेशा उपेक्षा। परन्तु ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं को सिर्फ अशिक्षित होने के कारण ही प्रताड़ना का, उपेक्षा का शिकार बनना पड़ता है। क्योंकि प्रताड़ना और उपेक्षा की शिकार शिक्षित महिलायें भी होती हैं, ऐसा हमें अपने समाज में नजर आता है। क्या पुरुषों ने कभी भी महिलाओं को, उनका इतना योगदान होने के बावजूद, बराबर का दर्जा या बराबर का स्थान देने की कोशिश की है? मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहूंगी। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को अगर मिसाल के तौर पर आप ले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हमारे कितनी महिलायें हैं? जहां तक मुझे मालूम है 6 से 7 फीसदी महिलायें ही इन पदों को अभी तक हासिल कर सकी हैं।

महोदया, इम्प्लायमेंट एक्सचेंज या अन्य माध्यमों से नौकरी की तलाश करने वाली महिलाओं की संख्या हमें बहुत अधिक नजर आती है। इसीलिए प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला आयोग का महत्व आज हमें साफ दिखाई दे रहा है। इस आयोग को यह देखना होगा कि इस प्रकार की महिलाओं के साथ भिन्न भिन्न मंत्रालयों में जो

अनियमिततायें हैं उनमें कैसे कमी लाई जा सकती है। सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का पूर्ण रूप से यह आयोग कैसे पालन करा सके, इसकी गहराई में भी जाने की आवश्यकता है। जहां तक महिलाओं के धन का प्रश्न है, महिलाओं की ओर से अदालतों में जो अर्जियां पेश की जाती हैं उन अर्जियों की सुनवाई किसी प्रकार की रुकावट न आते हुए हो तो ज्यादा अच्छा होगा। आयोग का यह भी एक कर्त्तव्य बन जाता है कि इन सारी कमियों को किसी तरीके से हटाने की कोशिश करे और देखभाल करे ताकि काम आसान तरीके से चल सके। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानून की अवहेलना भी कई बार नजर आती है। उनको समझ कर उनको नोट करें और उनको प्वाइंट-आउट करने की कोशिश करें तथा उस पर उपयोगी उपचार के साथ-साथ समाधान निकालने की भी कोशिश करें। मंत्री महोदया, यहां बैठी हुई हैं। मैं नहीं समझती कि आपको मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि इंग्लैंड के वूमैन नेशनल कमीशन से हम लोगों को थोड़ा-बहुत निर्देश लेने की आवश्यकता है। मैं यह मानती हूँ कि हमारे यहां की परिस्थितियां और इंग्लैंड की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है लेकिन जैसे वहां का आयोग संसद में महिलाओं की स्थिति के विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है उसी प्रकार से यहां का आयोग भी संसद के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। केवल केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहने से काम नहीं चलेगा। (समय की घंटी)

उपसभापति : सरोज जी, आप कृपया समाप्त कीजिए।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदया, मैं वैसे भी बहुत कम बोलती हूँ। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो दिल खोल कर मौका दीजिए ताकि मैं खुल कर अपने विचार रख सकूँ।

उपसभापति : अगर दिल की बात होती तो मैं दिल खोल देती।

कुमारी सरोज खापर्डे : दिल नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं मगर थोड़ा समय तो बढ़ा कर दे सकती हैं। महोदया, इस विषय पर पिछले दो तीन दिन से चर्चा हो रही है जिसमें सत्ता पक्ष की बहनें और भाई तथा विपक्ष की बहनों और भाइयों ने भाग लिया और महिलाओं के बारे में कहा जिसमें मुझे आशा थी कि कहीं न कहीं, कोई न कोई, कुछ विशेष रूप में कमजोर वर्गों की तरफ ध्यान दे कर उन की बातों को सामने रखेंगे। खैर, मैं यहां पर सत्ता पक्ष पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करने के लिए बिलकुल नहीं खड़ी हूँ लेकिन अगर मैं कुछ बोलना चाहूंगी तो उस पर मुझे रोक-टोक करने की हिम्मत आप नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे और अगर आप कोशिश करेंगे तो उसका मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। (व्यवधान) देखिये, मैंने जो पंक्तियां आपको सुनाई हैं इसी कंटेक्ट में सुनाई थी।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : फिर से सुनाइये।

उपसभापति : नहीं, नहीं, आप बाहर जा कर लाबी में सुन लीजियेगा। यहाँ नहीं।

कुमारी सरोज खापर्डे : उस कांस्टीट्यूेंसी में हरिजन महिलाओं के ऊपर इतने भयंकर अत्याचार और अन्याय होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधान मंत्री के पास इतना समय नहीं था कि वहां पर जायें, महिलाओं की स्थिति देखें और उसके बाद सदन में आ कर उस पर बयान करें। एक यह बात हो गयी। दूसरा, आये दिन सुबह उठते ही चाय का प्याला हाथ में लेते ही यदि आपके सामने कोई अखबार रखे और आप उसको देखें तो आपको उसके किसी न किसी पन्ने पर यह खबर पढ़ने को मिलती है कि आज हिन्दुस्तान के इस कोने में हरिजन महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ है।

THE DEPUTY CHAIRMAN :
I have four or five speakers more.
Please confine yourself now.

कुमारी सरोज खापर्डे : मैडम, मैं बिल्कुल कन्फाइन कर रही हूँ ।

THE DEPUTY CHAIRMAN :
You are speaking on the Bill, not on....(Interruption).

कुमारी सरोज खापर्डे : इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं। इसलिये मैंने इस बात का जिक्र किया। मैं कन्फाइन नहीं हूँ शायद ऐसा आपको लगता है। मैं कन्फाइन होने के लिये मुद्दे पर आती हूँ। महोदया, आप राष्ट्रीय महिला आयोग बिल संसद के सामने लाये हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी सत्ता पक्ष के लोगों से कि क्या आप महिलाओं के पक्ष में हैं, आपकी सरकार महिलाओं के पक्ष में है ? आपकी सरकार महिलाओं के पक्ष में है या नहीं ? मैं आपको अभी एक मिसाल देना चाहूंगी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मंत्रिमंडल में सिर्फ दो महिलायें हैं, यह उधर के लोगों ने भी कहा और इधर के लोगों ने भी कहा। लेकिन दो महिलायें कैसे मान लें कि इनकी कैबिनेट में मंत्री हैं। मैं दो महिलायें नहीं मानती हूँ। इनके मंत्रिमंडल में सिर्फ डेढ़ महिलायें मंत्री हैं, सिर्फ डेढ़ महिलायें। आप मुझसे पूछिये कि डेढ़ महिलायें कैसे। एक राज्य मंत्री हैं और दूसरी उप मंत्री हैं। इसलिये क्या आप डेढ़ मंत्रियों को दो मंत्री कहेंगे ? अगर आपको महिलाओं को मंत्रिमंडल में योग्य प्रतिनिधित्व देना था तो कम से कम दो केन्द्रीय मंत्री, दो राज्य स्तर की मंत्री और दो उप मंत्री होतीं तो मैं समझती कि आपको महिलाओं के प्रति बहुत अपनत्व है। लेकिन वह तो लगता नहीं है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ।

उपसभापति : सरोज जी, I have to call other people.

आप बिल के ऊपर बोल सकती हैं तो

बोलिये, नहीं तो मैं दूसरे को बुलाती हूँ। मैंने 5 मिनट कहा था, You have taken more time.

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं बिल के ऊपर ही बोल रही हूँ।

उपसभापति : नहीं, नहीं, you are not speaking on the Bill

कुमारी सरोज खापर्डे : मैंने आपसे कहा कि चाहे वह हिजिन हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, ब्राह्मण हों, पंडित हों, कोई महिला हो, महिलाओं के साथ इस देश में, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण किसी भी कोने में इस प्रकार की शर्मनाक जो घटनायें घटती हैं बलात्कार के रूप में, क्या उन चीजों को भी आयोग देखेगा या नहीं देखेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीजों को भी आयोग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करिएगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Please confine. आप भाषण बन्द कर दीजिये। I have got another lady.

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदया, इस राष्ट्रीय आयोग को इन चीजों को देखने के लिये तो मैं कहूंगी ही कहूंगी लेकिन कोई भी आयोग देश में तब तक सफल नहीं होता जब तक कि उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वे निस्वार्थ भावना से काम न करते हों। ऐसे ही लोगों को आपको रखना चाहिये आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष जिनकी छवि बहुत अच्छी हो, महिलाओं के प्रति जिनको सम्मान हो, महिलाओं के प्रति जिनकी सम्मानजनक दृष्टि हो। ऐसे ही लोगों को आपको आयोग का अध्यक्ष बनाना चाहिये और फिर क्या आयोग के सदस्यों को सरकार द्वारा ही मनोनीत किया जायेगा ?

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : महोदया

आपकी इजाजत से मैं इनको एक चीज याद दिला दूँ।

कुमारी सरोज खापर्डे : आपने कल परसों मुझे बहुत सी बातें याद दिला दीं।

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं आपका समय नहीं बरबाद करने वाली हूँ। आपने कुछ मुझे उठाये जिनका मेरी बहिन मंत्री जी जवाब देंगी। लेकिन मैं केवल इतना ही पढ़ देना चाहती हूँ। शायद विधेयक को सही मायने में आपने पढ़ा नहीं। इसमें देखिये—
Functions of the Commission.
Clause 10(e) : "call for... (Interruptions).

MISS SAROJ KHAPARDE :
Are you the Minister to reply to my queries ? She is competent.

SHRIMATI KAMLA SINHA :
...special studies or investigations into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women and identify... (Interruptions).

MISS SAROJ KHAPARDE :
Are you a Minister ? (Interruptions).

SHRIMATI KAMLA SINHA :
...the constraints so as to recommend strategies for their removal ;"

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Thank you, Sarojji, I have got two other people. (Interruptions). It started at 3 p.m.

उपसभापति : सरोज खापर्डे जी, आपकी बात खत्म हो गयी।

I have got other people also. आप 3 बज कर 12 मिनट पर बोलेंगी, 3 बज कर तीस मिनट हो गये। अब आप बैठ जाइये।

कुमारी सरोज खापर्डे : आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय पर बोलने की मुझे अनुमति

दी है। अगर आप यह समझती है कि इस हाऊस की मैं मीनियर सदस्या हूँ, तो मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का समय देकर मत बिठाइये। अगर आप कहती है, तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। ... (व्यवधान)

उपसभापति : सरोज जी आप मेरी बात सुनिये। ... (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : आप मुझ पर गुस्सा मत करिए।

उपसभापति : आप मेरी बात सुनिये। गुस्से का सवाल नहीं है। आपको मैंने 15 मिनट का टाईम दे दिया।

कुमारी सरोज खापर्डे : दो दिन तक मैंने सदन में बैठ कर सब के भाषण यहाँ सुने। जिस तरह मे उनको आपने टाईम दिया...

उपसभापति : मैंने नहीं दिया। ... (व्यवधान)

सरोज जी आप अपने ह्विप से बात कीजिए ... (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : वह तो मैं करूंगी। ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Now that discussion is over. देखिये मैंने आपको बोला है कि आप अपने ह्विप से बात कीजिए। आपके ह्विप को चाहिए ... (व्यवधान)

... (Interruptions) ...

Please don't misuse my giving you time. I gave 45 minutes extra which is over and above the stipulated time today. Beyond that, I can't allow. And if your party did not ask you to speak first, it is not my problem. You please speak to Mr. Jacob and to your party.

कुमारी सरोज खापर्डे : मुझे कोई हाऊस में बोलने का शौक नहीं है। अगर आप मुझे परमिट नहीं करते हैं।

उपसभापति : यह आप मुझसे नहीं कहिए।

[उप सभापति]

I have permitted you. I have permitted you 15 minutes.

I have other people also.....
(Interruptions)... I have other people also.

कुमारी सरोज खापर्डे : कल भी तो लोग बोल रहे थे । आपने उनको भी टाईम दिया । और उपसभाध्यक्ष बैठे थे, तो उनको टाईम मिला । ... (व्यवधान) तो मुझे क्यों रोका जा रहा है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have other people also. Please don't argue; there are other people also. There are three-four names from your own party. I have got four names with me and there are other people also.

जिनको टाईम बिलकुल हो नहीं मिलेगा ।

...(Interruptions)...

I have two Purush also.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : I want to give my name.

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is also there.

कुमारी सरोज खापर्डे : आपने रोकना था, तो मुझ पहले बुलवाना ही नहीं था ।

उपसभापति : देखिये सरोज जी, इस हाऊस का टाईम मेरी जेब से नहीं आता है । यह हाऊस का टाईम है । मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती, मजबूरी है । आप यह समझ सकती हैं । आप चाहे तो मैं यहाँ रात भर बैठूंगी, आप महिलाओं के बारे में डिसकस करिए । मुझे कोई एतराज नहीं है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदया मैं कहना चाहता हूँ (व्यवधान)

उपसभापति : आप कृपया बाहर चले जाएं । अगर आप चुप नहीं रह सकते, तो

इस मामले में आप बीच में मत बोलिए । आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए । आप मुझ डिस्टर्ब करेंगे, तो

I will name you today. Because I have allowed 45 minutes extra, please be have properly in this House. This is not the way. Don't make a habit to just get up because you are a senior, respected Member of this House and I respect you. Please don't spoil your image. This is my humble suggestion to you not to get up on any subject. Everybody knows that I have allowed 45 minutes extra. If Miss khaparde did not get more than 15 minutes, it is my unhappiness, but I can't help it. I call the Minister to reply. Now I can't go any further. There are many names I can't go any further.

Somewhere I have to put my foot down. No, no, no please. No suggestion. I can't allow.

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदया, राष्ट्रीय महिला आयोग बिल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए ... (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदया, आप ऐसा ... (व्यवधान) ...

उपसभापति : श्री पी. शिव शंकर जी, आप इस पार्टी के लीडर हैं -

I am telling you this is not the way. I also protest. I protest. I protest from the Chair that this is not the way the Congress Members have been behaving. I allowed 45 minutes on their request. This is not the way to put allegations on the Chair every day and I put it on record and I want it to be noted.

कुमारी सरोज खापर्डे : मेरी बात तो सुन लीजिए ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am sorry, I won't listen to you.

I will not listen to you. I gave you 15 minutes and it is more than enough. I gave 6 minutes to that lady Member.

कुमारी सरोज खापडें : महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए। . . (व्यवधान) . .

उपसभापति : मैं कुछ बात नहीं सुनूंगी।

कुमारी सरोज खापडें : आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं उनमें से नहीं हूँ (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am sorry.

SHRI M.M. JACOB (Kerala): Madam, it is very unfortunate.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am sorry, very unfortunate. Very unfortunate. I am sorry, very unfortunate.

कुमारी सरोज खापडें : आप मुझ से क्यों नाराज हो रही हैं ?

उपसभापति : आप ही बहस कर रही थीं। कोई दूसरा बहस नहीं कर रहा था।

कुमारी सरोज खापडें : मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कुछ कहना चाहूंगी।

उपसभापति : कुछ नहीं कहना चाहेंगी। . . . (व्यवधान) . . . बोलिए आप। . . . (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापडें : राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में चर्चा करते हुए . . . (व्यवधान) . . . राष्ट्रीय महिला आयोग बिल का समर्थन करते हुए मैं मेरे प्रति आपके रवैय के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जाहिर करती हूँ। . . . (व्यवधान)

[इस समय कुमारी सरोज खापडें सदन से उठ फ. चली गईं।]

THE DEPUTY CHAIRMAN : She came to me and I requested her. They are protesting and complaining to the Chair for nothing. Everyday this is going on, I don't understand whys. This is a matter

concerning women and I took the consensus of the House to give half an hour extra and I gave 45 minutes. I don't understand what you want. (Interruptions)

SHRI M.H. JACOB : Madam, probably the lady Member only wanted to . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, no; it is very unfortunate. She just walked out of the House in protest to the Chair. Okay, walk out; I have no objection.

KUMARI CHANDRIKA PREM-JI KENIA (Maharashtra) : Madam . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : Miss Kenia, on another subject I will permit you to speak. Please sit down and let the Minister speak. There are 64 amendments on it (Interruptions) Everyday they pass comments on the Chair. Is this the way to behave that you get up everytime and interrupt ? Is it all right ? I am sorry, you cannot pass allegations like this (interruptions) कृपया शांति, हाउस में शांति रहनी चाहिए। . . . (व्यवधान) मैं नाराज नहीं थी, मगर किसी मੈम्बर को इस तरह से चेंयर से ऊपर रोजाना आक्षेप लगाने का हक नहीं है। . . . (व्यवधान) यह कहना कि आपने मेरा गला बंद किया, मैंने किसी का गला बन्द नहीं किया। आपकी पार्टी ने टाईम नहीं दिया। मैंने उसके बाहर जा कर सब को टाईम दिया। . . . (व्यवधान) कृपया आप बैठ जाइये। . . . (व्यवधान) माननीय सदस्य आप सजा दे रही हैं।

उपसभापति : कोई सजा की बात नहीं, मैं किसी को सजा नहीं देती। सजा आपको आपके खुद काम देते हैं। मैं किसी को सजा नहीं देती।

श्रीमती उषा सिंह : महोदया, मैं कुछ भी कहने के पहले यह कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार के भावनामय वातावरण में इस सदन

[श्रीमती उषा सिंह]¹

में पिछले तीन दिनों से महिला आयोग के ऊपर बात-चीत हो रही है और चाहे जिस पक्ष में जो बैठे हों उनका समर्थन इस विधेयक को लाने में है। इस विधेयक के विषय में उन्होंने अपना समर्थन देते हुए सुझाव और सुझाव दिए हैं और गैर सरकारी संशोधन दिए हैं। मैं तो सब से पहले इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। अभी सराज बहन ने जिस तरह से भावनामय वातावरण में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया और इस चीज के ऊपर ही हम आगे बहस कर रहे हैं और अपना सरकार की तरफ से जवाब देने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि यहां सब की उपस्थिति रहे।

उपसभापति : आप बोलिए, अपना भाषण कीजिए। कोई रहे या नहीं रहे। that is not your concern. You speak what you want to speak.

श्रीमती उषा सिंह : धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला विधेयक मई, 1990 में लोक सभा में पेश किया गया था, उस समय महिला संगठनों और महिला सांसदों के बीच में सहमति हुई। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ था। जैसा कि मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि हमने 28 जुलाई, को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था और इससे पूर्व ही 5 फरवरी को राष्ट्रीय आयोजन हुआ। महिला संगठनों का आयोजन हुआ था और पिछले सदन में 22 तारीख को यह विधेयक लाया गया लोक सभा में उसके बाद उसमें कुछ कमियां रह गई थीं मैं इसको मानती हूँ। . . . (व्यवधान) तभी हमने बाद में सरकारी अमेंडमेंट्स लाए थे और उस बीच में काफी समय दिया गया। करीब दो महीने का समय दिया गया। आज तीसरा महीना है जब हम इस विधेयक को इस सदन से पारित कराने के लिए अपने माननीय संसद् सदस्यों के सामने इसको रख रहे हैं। पिछले तीन महीनों में हमने सब के, पत्तों के द्वारा भी सुझाव मांगे थे और सुझाव आए जिसके आधार पर अमेंडमेंट्स लाए गए। मैं इसी समय कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सम्मेलन क जब आयोजन किया गया था तो महिला विकास की प्रभारी मंत्रियों को, महिला सांसदों को तथा अग्रणी महिला कार्यकर्ताओं तथा बुविद्यवात महिला प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और

अपने विचार रखे। सम्मेलन के करीब 90 से 95 प्रतिशत जो सुझाव आए उनको सरकार ने माना। मैं 90 से 95 इसलिए कहती हूँ कि जितने भी सुझाव आए उसके आधार पर हमने सरकारी अमेंडमेंट्स लाए थे। सरकार ने संशोधन पेश किए जिन पर लोक सभा में चर्चा हुई और सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, बिना किसी पार्टी संबंधों को ध्यान में रखते हुए सदन ने बहुमत से इसको पारित किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : बहुमत से या सर्वसम्मति से ?

श्रीमती उषा सिंह : सर्वसम्मति हो गई थी। सारे अमेंडमेंट्स वापस हो गए थे। इस सदन के माननीय सदस्यों ने कई सुझाव भी दिए हैं। कुछ सदस्यों ने आज संशोधन भी दिए हैं। श्रीमती वीणा वर्मा जी, माननीय श्री कपिल वर्मा जी और श्री अहलुवालिया जी जैसे कई माननीय सदस्यों के सुझाव भी आए हैं कि सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 11 की जाए। मैं इस संबंध में यह बताना चाहूँगी कि आयोग के मसले जो समय-समय पर सामने आएँ, इन को निपटाने के लिए ऐसी समितियाँ नियुक्त कर सकता है जिसकी कि आयोग आवश्यकता समझे। इस बिल में वह प्रोविजन है कि वह सदस्यों को कोअॉप्ट कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह आयोग को अधिकार होगा कि वह आवश्यकता अनुसार कोअॉपसन कर सकेगा और कभी भी किसी भी मसले को किसी भी प्रकार के लोगों को, जैसी समय की आवश्यकता होगी वहाँ कोअॉपशन की गुंजाइश समझी जाएगी, आयोग जैसा उचित समझे ऐसे व्यक्तियों को समिति के सदस्यों के रूप में सहनियोजित कर सकेगा जो कि आयोग के सदस्य नहीं होंगे।

विधेयक के खंड-9 में यह व्यवस्था है कि आयोग अथवा समिति की जब और जैसी आवश्यकता हो, बैठक की जाएगी और बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जहाँ भी अध्यक्ष उचित समझेंगे। महोदया, विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि आयोग अपनी कार्य-प्रणाली को स्वयं

विनियमित करेगा। कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव आए हैं कि आयोग की बैठकों आदि के लिए एक समय निश्चित होना चाहिए। मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि समय निश्चित करने से आयोग के ऊपर एक प्रतिबंध हो जाएगा और आयोग को अगर कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो उनके ऊपर वह प्रतिबंध हो जाएगा कि एक निर्धारित अवधि के अंदर वह प्रतिवेदन दे। हमारे इमसे जांच प्रक्रिया में रुकावट भी आ सकती है। बैठकों की संख्या का भी उल्लेख आया है। मैं बताना चाहूंगी कि आवश्यकतानुसार नियमों में हम यह प्रावधान रख रहे हैं कि जब और जैसी आवश्यकता होगी, बैठक बुलाई जा सकती। इसके ऊपर समय का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

महोदया, आयोग अपनी क्रियाविधि को विनियमित भी करेगा। मैंने पहले ही अभी मदन में बताया है और माननीय उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाहती हूँ कि लूस फ्रेमिंग के समय हम इस बान की पूरी गंजाइण रखेंगे। माननीय सदस्य अहलवालिया जी का और हमारे माननीय सदस्यों का सुझाव है इस में समय निर्धारित करने का। तो यह एक इनफार्मल रूप में अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी। महोदया, आयोग का गठन इसलिए तो रहा है कि वह समय पर और जल्दी-से-जल्दी दो मसले आयोग के स... उनकी समस्याओं की जांच कर शायद उसे दूर करे। कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिए हैं कि आयोग को रिपोर्ट एक निश्चित समय के अंतर्गत देनी चाहिए। हमारे, एक महत्वपूर्ण सुझाव यह आया कि केन्द्रीय सरकार के न्यान पर शब्द "भारत के राष्ट्रपति" प्रतिस्थापित किया जाए। परन्तु मैं कहना चाहूंगी कि संवैधानिक संगठन में सामान्यतः "केन्द्रीय सरकार" का ही प्रयोग होता है।

माननीय सदस्य श्रीमती मारग्रेट आल्वा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय महिला समिति का गठन 1988 में किया गया था और उसका पुनर्गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला समिति के कार्य अधिकतर

वैसे ही हैं जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं। माननीय सदस्य ने यह भी बताया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने महिला अधिकार आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के निर्णय की घोषणा की थी। महोदया मैं यह बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय महिला समिति की जानकारी मुझे भी... जिसकी बैठक 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठन की गई थी। उसका दो वर्ष की निश्चित अवधि का ही मात्र कार्यकाल था। इस समिति की केवल एक ही बैठक बुलाई गयी थी 1988 में। उसके पश्चात् 1989 में कोई भी बैठक नहीं बुलाई गयी।

SHRIMATI MARGARET ALVA :
I never said that the previous Government had set up a Commission for Women. You have got me wrong. I never said it. The National Committee was set up not in 1988, but in 1975.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA :
It is a problem of language !

SHRIMATI MARGARET ALVA :
I understand that.

श्रीमती उषा सिंह : यह हो सकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि 88 में एक बार बैठक हुई। 89 में कोई भी बैठक... (व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN :
What I heard was, she said, in 1975 there was a Committee on the International Women's Year. And then there was a Status of Women Committee. The 29-member committee was different.

SHRIMATI MARGARET ALVA :
The Commission on the Status of Women was in 1971. Based on its recommendations, a National Committee was set up, with the Prime Minister as the Chairman. Indiraji was the first Chairman in 1975. That was constituted.... (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN:
It is a question of the committee.
That's all.

SHRIMATI MARGARET ALVA:
That committee was reconstituted every two years. In 1988 it was reconstituted for a full term. It was not a Commission. It was a National Committee on Women. (Interruptions)

श्रीमती उषा सिंह : माननीया मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि वर्ष 1988 में इसका पुनर्गठन हुआ... (व्यवधान)

उपसभापति : ट्रांसलेशन की प्रोब्लम है । . . .

श्रीमती उषा सिंह : माननीया मैं माननीया सदस्या को अवगत कराना चाहूंगी कि इसका पुनर्गठन हुआ था, यह रिकॉस्टीट्यूट हुई 1988 में 1989 में इसकी कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी । मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ ।

माननीया राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्थाई प्रकृति का संवैधानिक निकाय है । यही फर्क है जो मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगी कि यह विधेयक हम पार्लियामेंट से पारित कर रहे हैं इस बिल के द्वारा । यह फर्क मैं बता रही हूँ । मैं इसकी उपयोगिता के ऊपर इसकी महत्ता के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रही । मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि 1989 में बैठक नहीं हुई थी । मेरी सरकार का विचार है कि महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए और उनको अधिकारों के संरक्षण के लिए मौजूदा तंत्र पर्याप्त नहीं है और राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप भी हमने न केवल इसको देखने का कार्य करने बल्कि महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए एक संवैधानिक निकाय की स्थापना करने का निश्चय किया है ।

महोदया जैसा कि विधेयक में बताया गया है आयोग के मुख्य कार्य होंगे— महिलाओं का अध्ययन करना, उनका

प्रबोधन करना, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ संशोधनों का सुझाव देना । साथ ही महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए सभी कानूनों के समुचित कार्यान्वयन की यह आयोग देखरेख करेगा, जिससे महिलाओं के जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें समानता मिल सके ताकि राष्ट्र के विकास में वे समान रूप से भागीदार हों । मैं यह विधेयक को पुनः पढ़कर माननीय सदन का समय नहीं लेना चाहूंगी लेकिन यह कहना चाहूंगी कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । . . . (व्यवधान) . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Silence in the House. The Minister is replying. Members have aright to listen (Time bells rings)

(Interruptions)

Every side of the House. Every side of the House, everyone, should listen. (Interruptions)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
It is a language problem, (Interruptions)

उपसभापति : प्लीज, महिलाओं के विषय में कभी चर्चा कम होती है, इसलिए ध्यान में सुनिए ।

(Interruptions)

Now p'ease take your seat.

श्रीमती उषा सिंह : माननीय सदस्य अहलुवालिया जी, श्रीमती वीणा वर्मा जी और अन्य माननीय सदस्यों ने विधेयक में महिलाओं के प्रति अत्याचार संबंधी मामलों पर कार्यवाही करने के लिए खण्डों की व्यवस्था हेतु संशोधन के सुझाव दिए हैं । माननीया, मैं उनका ध्यान बिल के खण्ड "एस" की ओर पुनः आकृष्ट करना चाहूंगी, जिनमें शिकायतों की जांच करने, महिला अधिकारों की वंचना करने संबंधी मामलों पर स्वप्रेरणा से ध्यान देने तथा ऐसे मामलों को समुचित अधिकारियों तक उठाने संबंधी बातें शामिल हैं । यह देखा जा सकता है, अत्याचारों से उत्पन्न परिस्थितियाँ . . . (व्यवधान) . . .

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : ममता बनर्जी का तो कुछ करिए। उसमें एक्शन लीजिए।

(Interruptions)

SHRIGURUDAS DAS GUPTA :
They are living under the spectre of Mamta.....(Interruptions) ३

श्रीमती उषा सिंह : इनका सुनिश्चित करने की व्यवस्था पहले से है।... (व्यवधान)

माननीया, विचार-विनिमय के दौरान अध्यक्ष जी की कार्यावधि की चर्चा उठी थी कि अध्यक्ष अनिश्चितता के वातावरण में काम करेंगे। हमारी बड़ी बहन श्रीमती प्रतिभा सिंह ने भी यह बातें उठाई थीं, मैं उनका ध्यान ले जाना चाहूंगी। विधेयक में यह स्पष्ट रूप से है कि उनकी कार्यावधि तीन साल के लिए रहेगी और री-एवाइमेंट की गुंजाइश उसमें है। छः साल तक उनकी और सदस्यों की कार्यावधि हो सकती है। इसलिए अध्यक्ष के ऊपर ऐसी बात नहीं आती कि कोई सरकार की तलवार लटकी हुई हो और वह काम करने में अपने को असमर्थ पाए। इसीलिए मैं विशेषकर के विधेयक की 10 वीं धारा की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी। माननीय सदस्यों को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल सुरक्षित होगा और सरकार को उन्हें बिना किसी विशेष परिस्थिति में पदच्युत करने का अधिकार नहीं होगा और पदच्युत करने की स्थिति में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाय, जैसे कि पहले भी मैंने चर्चा की थी।

माननीया सदस्या श्रीमती नटराजन जो ने कहा है कि आयोग को समुचित शक्ति दी जानी चाहिए और उसकी सिफारिश आदेशात्मक होनी चाहिए। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसकी समुचित शक्ति दी गई है, स्टेच्यूटरी बाड़ी है और मंडेटरी है इसको लागू करना। यह भी प्रावधान है कि आयोग अपनी रिपोर्ट संसद तथा राज्य के विधान

मंडल के समक्ष लाएगा। यह इस विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कार्य कारिणी आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा अगर वह उन सिफारिशों को लागू नहीं करते हैं। यदि कोई सिफारिश लागू नहीं होगी तो उनको लिखित स्पष्टीकरण देना होगा, यह मुख्य बात है। हम रूल फ्रैमिंग में, इसकी गुंजाइश स्पष्ट करेंगे और एक्ट में भी है और रूल में ही इसको ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आयोग को संविधान के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा तथा वंचना से संबंधित किसी मामले की जांच करने, सम्मन देने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, साक्ष्य प्राप्त करने और सार्वजनिक रिकार्ड की मांग करने के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी। श्रीमती नटराजन ने महिला अधिकार और उनके स्टेटस को प्रभावित करने की नीति बनाने के पूर्व आयोग से सलाह लेने के विषय में एक संशोधन और सुझाव दिया अपने भाषण में। विधेयक में यह व्यवस्था है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य नीतिपरक मामलों में आयोग से परामर्श किया जाएगा और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की आयोजन प्रक्रिया पर आयोग सलाह देगा और उसमें वह भाग लेगा। जहां तक आयोग के लिए योजना नियतन आधार पर धन की व्यवस्था करने संबंधी उसके संशोधन का प्रश्न है, मैं यह बता देना चाहती हूँ कि दिए गए अनुदान से आयोग स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकेगा।

माननीय सदस्यों द्वारा और भी मुद्दे उठाए गए हैं, उनमें से अधिकांश पर पहले भी कुछ विचार हुआ है। प्रक्रिया और कार्यक्रम संबंधी मामलों पर नियमों को समुचित डालेंगे। जो विचार-विमर्श हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और जो रूल फ्रैमिंग का काम हम कर रहे हैं और जो सदन में विचार-विमर्श हुए हैं, उनको अधिकांशतः उसमें डालने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है।

[श्रीमती उषा सिंह]

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारी सरकार की कभी यह मंशा नहीं रही है कि कमजोर आयोग बने, वह सशक्त आयोग बनेगा। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी जिन्होंने संशोधन पेश किए हैं, वे उन संशोधनों पर जोर न दें क्योंकि जो सदस्यों को बढ़ाने के मुद्दे हैं, अध्यक्ष की पावर के मुद्दे हैं, कुछ शब्दों को डिलीट करने के संबंध में हैं, तो इस बारे में इतना ही कहूंगी कि जो हमने रूल फ्रॉमिंग का काम शुरू किया है और कॉप्पान की काफी गुंजाइश है। इसलिए 7 या 9 या 20 ऐसे भी सुझाव आए हैं। श्रीमती वर्मा जी का सुझाव है कि इसकी संख्या 20 कर दी जाए। 7 से लेकर 20 सुझाव आए हैं। यह तो हमारे एक्ट में ही प्रावधान है कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा जितनी आवश्यकता होगी, उनको बढ़ाएं और रखें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो इसमें यह है कि कमजोर वर्ग के लिए हमने दो सदस्यों में एक गेडयूल्ड कास्ट, गेडयूल्ड ट्राइव्स का सबसे मनोनीत करेंगे, पहले मनोनीत करने का था, अब वह हमारे सदस्य के रूप में होंगे।

मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि पहिला आयोग विधेयक पर काफी व्यापक विचार-विमर्श हुये, बहुत ही अच्छे सुझाव दिये गये हैं। इस विधेयक के लाने के पूर्व लोक सभा और आज राज्य सभा में विस्तार से विचार हुये। इस विधेयक की उपयोगिता और आवश्यकता के संबंध में किसी भी माननीय सदस्य की चिन्ता कम है, मैं इसको नहीं मानती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ कि माननीय सदस्यों के सुझाव हम इसमें रखने जा रहे हैं। इसलिये गैर सरकारी जो प्रेमडमेट हैं उनको वापिस लिया जाये। माननीया मैंने कहा है कि हमारे मंत्री द्वारा लोक सभा में विभिन्न स्रोतों से सरकार को जो सुझाव प्राप्त हुये थे उस पर काम किये गये हैं। मैं अभी चर्चा कर रही थी कि श्रीमती सरोज बहिन ने लिखकर कुछ सजेसन हमें भेजे थे और आज उन्होंने यहां पर उन बातों को बताया है तो मैं कहूंगी कि यह शब्दों की समझदारी है, क्योंकि हमने रूल्स में उन बातों को

डाला है, उनके जो सुझाव आये थे कि महिलाओं की समस्याओं को काफी गंभीरतापूर्वक देखा जाये।

पहले इसमें प्रावधान था कि प्रशासनिक खर्च के लिये भारत सरकार उसको अपने निधि से देगी। लेकिन अब हम इस बिल की धारा की उपधारा-1 के अंतर्गत जो अनुदान होगा उसमें ही आयोग का काम चलायेंगे। इसमें आयोग को किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इसके संबंध में सृषमा जी को और सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि आयोग को किसी के ऊपर इसमें निर्भर रहने की कोई बात नहीं रहेगी। माननीय सदस्य श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने आयोग के गठन की बात की है। मैं पुनः कहना चाहूंगी कि इसमें इन्होंने दो बातों की चर्चा विशेष रूप से की और भी माननीय सदस्यों का रहा कि शिशु कन्याओं की जो डिक्लीमिनेशन होती है मां के गर्भ को लेकर, तो इसकी प्रक्रिया जारी है और हम विधेयक लाने जा रहे हैं कि जो ध्रुण हत्या होती है कन्याओं की, उसके संबंध में उसके लिये भी कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

KUMARI CHANDRIKA
PREMI KENIA: Are you banning
the tests?

श्रीमती उषा सिंह : इसके ऊपर भी हम आप लोगों के साथ बैठकर जिस तरह महिला आयोग... (व्यवधान)...

KUMARI CHANDRIKA PRE-
MI KENIA: They have done it in
Maharashtra.

श्रीमती उषा सिंह : जी हां महाराष्ट्र में है। लेकिन हमने मोचा है कि इस ऊपर भी सबके साथ बैठकर इसको लाने की बहुत आवश्यकता है और खास करके जब यह कन्या वर्ष मनाया जा रहा है तो इसकी आवश्यकता तो है ही।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा)
उपसभापति महोदया, मेरा सुझाव था कि पत्रकारिता के क्षेत्र को भी शामिल किया जाय और हमारे पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया था। मुझे तो

दुख इस बात का है आपने सबकी बातों का जवाब दिया, मैं अकेली 40 मिनट बोली इस बिल पर लेकिन आपने एक बार उल्लेख तक नहीं किया मेरे किसी सुझाव का। पूरे हाउस का सर्वसम्मत समर्थन मिला था कि पत्रकारिता के क्षेत्र का शामिल किया जाय। आपका क्या कहना है इस पर ?

श्रीमती उषा सिंह : नहीं-नहीं, मैं आ रही हूँ इसके ऊपर। माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से इस विधेयक के ऊपर अपना मत दिया है, समर्थन दिया है, उसके लिये आभार प्रगट करती हूँ। पत्रकारिता के किसी एक सदस्य को लेने का जो बात है तो मैं यह अनुरोध करूंगी कि हम उसमें स्पेशल इन्वाइटी के रूप में जरूर चाहेंगे कि आयोग उसको बुलाये।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : उन्होंने कहा नहीं लिया, लेना चाहती हैं।

श्रीमती उषा सिंह : उनका भी मैं आभार करती हूँ।

उपसभापति : जो सब लोग बोलना चाहते थे उनका भी आभार कर दीजिए।

श्रीमती उषा सिंह : जी, मैं उन सभी का आभार प्रगट करना चाहती हूँ।

उपसभापति : क्योंकि वह अच्छी बात बोलते हैं।

श्रीमती सत्या बहिन : मैं तो बधाई और पूरा समर्थन ही देना चाहती हूँ।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : पुरुष श्रोताओं को भी धन्यवाद दे दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदया, स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर पत्रकार रखने की जरूरत नहीं है। जितने क्षेत्रों का उल्लेख है इन सभी में से लोग नहीं ले लिए जाएंगे। लेकिन वह ऐसे क्षेत्र हैं कि उन्हीं में से लिये जायेंगे। इसलिये पत्रकारिता का क्षेत्र उसमें रखिये, स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर पत्रकार बुलाने की ... (व्यवधान)

श्रीमती उषा सिंह : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगी कि हमने सेशन आठ(2) में कह दिया है कि

उनको को-ऑप्ट किया जाएगा क्योंकि पत्रकारों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैंने इस संबंध में सदन की भावना को समझा है और मैंने भी इसकी आवश्यकता को महसूस किया है। यह कमी इसमें अवश्य रह गई है। जब हम इस कमीशन को बनाएंगे तो उसमें पत्रकारों को भी अवश्य शामिल करेंगे। सह-नियोजित करके, जब जब आयोग आवश्यक मामलों में।

महोदया, अभी तक हमारे करीब 14 माननीय सदस्यों ने इस बिल के ऊपर अपने विचार प्रकट किए हैं। बहन वीणा वर्मा, अहलुवालिया जी और सरोज बहन ने भी इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं तो यह कहूंगी कि इस बिल के प्रति जो भावना आपने आपने दिखाई और जो सहयोग दिया है, चार दिनों से इस पर बहस हो रही है, सभी सदस्यों ने इस पर अपना समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। मैं यह मानती हूँ कि राष्ट्रीय मीर्चा सरकार की मंशा पर आपने जरा भी शक नहीं किया है और न ही हमारी कोई इंटेंशन है कि हम इसको जरा भी कमजोर बनाएं। मैं आप लोगों के सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप हमारी मंशा पर शक न करें। एक बार आयोग का गठन हो जाने दीजिए। तब जहां कहीं भी किसी सुधार की गुंजाइश होगी तो हम उन सुधारों को लाएंगे और आयोग को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे।

राज्यों में भी इस आयोग का गठन होगा। हमने राज्यों को इसके बारे में लिखा है जिसमें से 6 राज्यों की सहमति आ चुकी है। ऐसी नहीं है कि हमने केवल अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों में ही इसका विस्तार करने का निश्चय किया है। यहां सभी प्रांतों के मंत्री आए थे और 6 मुख्यमंत्रियों ने तो स्पष्ट रूप से इसका गठन करने का आश्वासन दिया है। मैं समझती हूँ कि जब तक नीचे के स्तर से इसके लिए काम गही होगा तब तक जिस उद्देश्य

[श्रीमती उषा सिंह]

के लिए हम विधेयक ला रहे हैं वह पूरा नहीं होगा। धीरे-धीरे इसका गठन राज्यों में जिला स्तर पर भी किया जाएगा और जिला समितियाँ अपना काम करेंगी। धीरे-धीरे सुझो-मोटो रूप से जो बातें आयोग के सामने आएंगी वह उनकी सुनवाई करेगा।

महोदया, इसके महत्व को देखते हुए जो सदन के सदस्यों की भावना इसके प्रति रही है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं सदस्यों से अनुरोध करूँगी कि वे अपने गैर-सरकारी अमेंडमेंट्स वापस लें और इस बिल को पारित करें। जो कामी इसमें रह गई है उसको हम निश्चय ही दूर करेंगे अब मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इसे पास किय जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion for consideration of the Bill to vote. The question is:

“That the Bill to constitute a National Commission for Women and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. First, we shall take up clause 2. There is one amendment, amendment No. 1, by Shri Ahluwalia. Are you moving?

Clause 2-(Definitions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am moving my amendment. Madam, I beg to move:

1. “That at page 2, line 1, after the words means ‘a’ the word ‘female’ be inserted”.

महोदया, यह नेशनल कमीशन फार वीमेन बिल 1990 है जिस पर संशोधन है और क्लॉज 2 में कहा गया कि—

“Member” means a Member of the Commission and includes the Member Secretary and a Member co-opted under sub-section (3) of section 3;

मैंने सिर्फ इतनी ही मांग की है कि “means a” शब्दों के स्थान पर “female” be inserted. फीमेल मैबर हों क्योंकि यह वीमेन कमीशन है। यह खाली स्पैसिफाई करने की मैंने गुजारिश की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने कोई अनर्थ बात नहीं कही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन इसका समर्थन करेगा।

The question was put and the motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 (Constitution of the National Commission for Women)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are 21 amendments.

Amendments No. 2, 5 and 8 by Shrimati Veena Verma and Shri Santosh Bagrodia.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि—

2. “पृष्ठ 2 पर पंक्ति 11 और 12 में, “एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हों” शब्दों के स्थान पर “एक महिला अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो और जो अधिमानतः उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

5. “पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 13 में “पाँच” शब्द के स्थान पर “बीस” शब्द प्रतिस्थापित किय जाएँ।”

8. “पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् —

“परन्तु यह भी कि संसद् की दोनों सभाओं से कम से कम दो महिला सदस्यों को क्रमशः लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।”

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Amendments No. 3, 4, 6 and 7 by Shri
S. S. Ahluwalia.

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Madam, I move:

3. "That at page 2, line 10 for the words 'a Chairperson' the words 'a female Chairperson' be substituted."

4. "That at page, 2 line 11, for the words 'Central Government' the words 'President of India in consultation with leading womens organisations in the country' be substituted."

6. "That at page 2, line 12, for the words 'Central Government' the words 'President of India in consultation with leading womens organisations in the country' be substituted."

7. "That at page 2, line 20, after the words 'Scheduled Tribes,' the words 'Backward Classes and Minority communities.' be inserted".

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Amendments No. 23, 24 and 25 by
Shrimati Jayanthi Natarajan.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, I move the amendments.

23. "That at page 2 for lines 10-11 the following be substituted, namely:—

'(a) a chairperson who shall be non political and shall be nominated by a Committee consisting of nominees of the Government of India, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India.'

24. "That at page 2 for lines 12 to 21 the following be substituted namely:—

'(b) Seven members of whom at east one each should be drawn from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, to be nominated by the Presi-

dent of India from amongst persons of ability, integrity and standing, who have experience and expertise in one or more of the following fields:

(i) law and legal procedures;

(ii) trade unionism;

(iii) organising women at grassroots or other levels;

(iv) economic development and planning;

(v) education;

(vi) health;

(vii) welfare services;

(viii) development analysis and research;

(ix) administration."

25. "That at page 2 for lines 22 to 28 the following be substituted, namely:—

'(c) the Secretary of the Department of Women and Child Development, shall be an *ex-officio* member of the Commission."

Madam, I want to say one word. My amendment relates to the fact that I wanted the chairperson of the Commission to be non-political and Mrs. Swaraj has also spoken about this. I have taken the name of Mrs. Dandavate. I want to reiterate that I have the greatest respect for her personally. I think she is person suited to be a chairperson and I agree with Mrs. Swaraj that political women are not untouchables, they are also equally concerned with the people. Why I have moved the amendment is because if a chairperson belongs to a particular political party, there might be conflict of opinion between the views expressed by members. If any woman is offended, she talks of a problem and if there is a

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

conflicting opinion, not in accordance with the opinion of that political party, there may be a direct conflict. Therefore, I leave it to the House to decide, but I want to reiterate that personally I have the greatest regard for Mrs. Dandavate.

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN :

There are three amendments Nos. 46, 47 and 48 by Shrimati Sarala Maheshwari.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभापति महोदया, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं से जीवन्त संपर्क रखें, इसलिये यह जरूरी है कि वह स्वैच्छिक महिला संगठनों से घनिष्टता से जुड़ा रहे। इसलिये मैंने ये संशोधन रखे थे।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan) : Madam, I move my Amendment Nos. 57, 58, 59, 60 and 61.

- 57. "That at page 2 line 10 for the words 'a Chairperson Committed to the cause of women' the words 'a woman Chairperson, committed to the cause of women preferably a social worker' be substituted."

58. "That at page 2 line 11 for the words 'Central Government' the words 'President of India in consultation with recognised and registered womens organisations in the country' be substituted."

59. "That at page 2, line 12 for the word 'five' the word 'Fifteen' be substituted."

60. "That at page 2 line 12 for the words 'Central Government' the words 'President of India in consultation with recognised and registered womens organisations in the country' be substituted."

61. "That at page 2 line 20 for the words 'and Scheduled Tribes' the words 'Scheduled Tribes and persons' below the poverty line' be substituted."

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Amendment by Shri V. Narayanasamy, No. 62

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Madam, I move :

62. "That at Page 2, line 10, after the word 'women' the words 'and non-political' be inserted."

The question was proposed.

SHRI V. NARAYANASAMY : I have other amendments also. I will speak on all the amendments together. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN : You speak on amendment No. 62. This comes under Clause 3. When your other amendments come, I will permit you to speak at the right time. (Interruptions) Please speak. I will permit you at the right time. (Interruptions). I permit Members to speak when it is his right. Order please.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal) : Every time you are telling him to sit down. So now he cannot understand your permission to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes Mr. Narayanasamy, I say that this is your right to speak and I permit you to exercise your right. Exercise it.

SHRI V. NARAYANASAMY : I hope it will not be expunged.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
It is very funny. When I ask you to speak and exercise your right, you don't. When you don't have a right, you want to speak.

SHRI DIPEN GHOSH : When you ask him to stop, he speaks. When you ask him to speak, he stops.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Order, please. Let us give a patient hearing to Mr. Narayanasamy ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar) : We want Mr. Narayanasamy to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Yes, Mr. Narayanasamy. You speak on amendment No. 62.

SHRI V. NARAYANASAMY :
I am not pressing this amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Okay, you are withdrawing it.

The amendment (No. 62) was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Now, I have the secret of Mr. Narayanasamy. When I say, "you speak", he will not speak; when I say, "don't speak", he will speak. So from tomorrow, I would ask you to speak on every subject. Then amendments Nos. 65 and 66. Mr. Salaria.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Madam, I move :

65. "That at page 2, for lines 19 to 21, the following be *substituted*, namely :—

'Provided that at least one member each shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.'

66. "That at page 2, after line 21, the following be *inserted*, namely :—

'(b) the Commission shall take decisions by majority vote and in case of tie the Chairperson shall have a casting vote.'

The questions were proposed

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : In clause 3, in the proviso they have said :

"Provided that at least one member each shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes".

I want to have it amended as under :

"Provided that at least one member each shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes".

I add "Backward Classes" also. Let Backward Classes be also represented on the Commission.

Then my amendment No. 66 is also to clause 3. My first amendment was pertaining to bringing a member of the Backward Classes also on the Commission. It is not included in the original text. My second amendment is about how the Commission will deliberate and in what manner the decisions will be taken by the Commission. There are seven members or six members. Supposing they differ, the Bill does not provide what will happen in that case. So how are the differences among the members to be resolved? So I have brought an amendment that "the Commission shall take decisions by majority vote and in case of tie the Chairperson shall have a casting vote". The Bill is silent on this aspect and the working of the Commission will become impossible when it comes to actual working. At that time, decisions

[Shri Shabbir Ahmad Salaria]

have to be taken under some procedure to be provided in law. The law is silent. Nowhere in the Bill is it said whether or not the decision will be taken by a majority vote and in case of difference of opinion whether the opinion of the Chairman will prevail and in case they are equally divided, the Chairperson shall have a casting vote. A workable formula should have been provided in the Bill. It has not been provided. Therefore, I have moved this amendment and I think the Government should agree to it because it is in their interest.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Now I am putting amendments Nos. 2, 5 and 8 by Smt. Veena Verma to vote.

SHRIMATI VEENA VERMA :
I am withdrawing my amendments.

Amendments Nos. 2, 5 and 8 were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Now I am putting amendments Nos. 3, 4, 6, 7, 23, 24, 25, to vote. Yes, Mr. Ahluwalia, you want to withdraw your amendments?

SHRI S. S. AHLUWALIA : My amendments No. 6 and 7 are there.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
I am putting all these amendments to vote.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I want to speak on amendments No. 6 and 7.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
I am putting these to vote. I am only reminding those who are withdrawing and those who are not withdrawing.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : Madam, I am withdrawing my amendment No. 24.

Amendment No. 24 was, by leave, withdrawn.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I am not withdrawing; I want to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
No speech, please. Mr. Santosh Bagrodia, shall I put your amendment. Okay. Now I am putting the amendments to vote, all of them together.

Amendment Nos. 3, 4, 6, 7, 23, 25, 57, 58, 59, 60, 61, 65 & 66 were negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
I shall now put clause 3 to vote. The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

*Clause 3 was added to the Bill.
... (Interruptions)...*

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI P. SHIV SHANKER) : Madam, what is wrong with the Treasury Benches? It seems there is something wrong with the Treasury Benches. They are not even applying their mind...
(Interruptions)...

SHRI S. S. AHLUWALIA : Madam, that means my amendments are adopted.

SHRI P. SHIV SHANKER :
Madam, they are in the habit of saying ‘No’ to everything. That is why they are saying ‘No’ even...
(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN :
I request honourable Members, please be serious because, by not being serious we might adopt some amendments you may not want to adopt and we might reject some amendments you want to adopt.

I shall now take up clause 4. There are 27 amendments.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
मैडम, क्लॉज 3 में मेरे एमेंडमेंट 6 और 7 हैं। आपने कहा,

“Ayes have it, ayes have it, ayes have it.” That means both the amendments are accepted.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
I was putting the clause to vote. First there was the amendment. It was negatived. And then the clause...

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is in clause 3.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Mr. Ahluwalia, will you please sit down? I will explain... (*Interruptions*)... I will explain to you. I said two things. You are listening? I said, first the amendments were negatived and then the clause was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
मैंने गुजारिश की थी कि मैं 6 और 7 पर बोलना चाहता हूँ। आपने कहा कि ठीक है, जब बिल वोटिंग के लिये आयेगा तो आपको बोलने का मौका दूँगी।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
No, no, you did not follow. Just listen to me. When I asked you to move it, at that time you had a right to speak—not afterwards.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
महोदया, मैं ज्यादा एक्सपीरिएंस मेंबर नहीं हूँ।

उपसभापति : अब हो जाइये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
जब ट्रेजरी वेजेज को, क्या कह रहे हैं, यह मालूम नहीं है तो सारा हाउस कंफ्यूज है। मेरी गुजारिश है कि मैंने 6 और 7 एमेंडमेंट में कहा है कि जहाँ आपने दो मेंबर्स रिजर्व में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये रखे हैं वह पर बैकवर्ड क्लासेज के लिये भी मेंबर रिजर्व में रखिये और माइनोरिटीज के लिये भी मेंबर रखिये। यही मेरी एमेंडमेंट है। मैं यही बोलना चाहता

था। यह मेरी ही बात नहीं है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की कमिटमेंट पब्लिक को है, उनके मैन्युफैस्टो में यह कमिटमेंट है कि बैकवर्ड क्लासेज और माइनोरिटी कम्युनिटी को दर्जा देंगे, सम्मान देंगे सोसायटी में। आज यह विमन बिल पास किया जा रहा है। माइनोरिटी कम्युनिटी और बैकवर्ड क्लासेज को यह दिया जाय, यही मैंने एमेंडमेंट रखी थी।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Now you speak at the appropriate time... (*Interruptions*)... **Mr. Ahluwalia,** I will tell you one thing. Now I can explain to you, if you want to know. When I asked a Member to move the amendments, he just moved the amendments and sat down... (*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I raised my hand.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
You should have got up and said... (*Interruptions*)... Please, Mr. Jagesh Desai, he is capable of looking after himself. I am explaining because another amendment of yours is coming up—Amendment Nos. 9 and 10. If you like to speak, let me know.

I shall now take up clause 4. There are seven amendments. Yes, Mr. Ahluwalia, now you may speak.

Clause 4 (Term of Office and Conditions of Service of Chairperson and Members)

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Madam, I beg to move:

9. “That at page 3, lines 3 to 5 be deleted.”

10. “That at page 3, line 6, the words ‘in the opinion of the Central Government’ be deleted.”

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
महोदया, यह एमेंडमेंट 9 और 10

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

क्लाज 4 और 3 के डी और ई में मैंने दिये हैं। रिफ़्यूजज टू एक्ट आर बिकम्स इनकेपेबल आफ़ एक्टिंग है। रिफ़्यूजज टू एक्ट, कभी भी सरकार के विरूद्ध कोई मेंबर इयूमन राइट्स के लिये, सिविल राइट्स के लिये, सिविल लिबरटीज के लिये काम करता है तो सरकार जो भी पदासीन हो, अगर उसके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है तो मिनिस्टर कंसर्न या सरकार के आदमी उसमें इंटररेस्ड हो जाते हैं और अगर वहां पर महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, उसका विरोध करते हैं सदस्य या चेयरमैन, तो उसकी चेयरमैनशिप या मेंबरशिप जा सकती है। तो उसकी चेयरमैनशिप या उसकी मेंबरशिप जा सकती है। यह अधिकार हम इसको दे रहे हैं। मेरा कहना है इसमें यह भी है कि

“(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or” should be deleted.

यह भी चलता है कि जिस मेंबर को बुलवाना नहीं चाहते हैं तो सरकारी पक्ष में एक रवैया चलता है कि अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट की चिट्ठी पोस्ट हो जाती है लेकिन वह चिट्ठी सदस्य को नहीं भिजती और मॉटिंग होती रहती है और इस तरह से फिर उस मेंबर को निकास दिया जात है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से इस क्लॉज को डिलिट कर दिया जाय।

दूसरा जो टेंथ अमेंडमेंट है उसमें एफ में है कि

“(f) in the opinion of the Central Government has so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to public interest;”

“in the opinion of the Central Government”

वर्ड जा है उसको डिलिट करने की गुज़ारिश है। क्योंकि जब भी कभी

वीमेन कमीशन के चेयरमैन के साथ होम मिनिस्टर या कल्याण मंत्री का झगडा होगा तो उसको आप सिर्फ़ एक लाइन से हटा लेने का आप उनको अधिकार दे रहे हैं। अगर आप आटोनामी दे रहे हैं, जब आप उनको अच्छी तरह से काम करने का अधिकार दे रहे हैं तो इस लाइन का यहां पर कोई औचित्य नहीं है। मैं इसको डिलिट करने की मांग करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब सदस्य इसमें मदद करेंगे।

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 26, 27 and 28 are by Shrimati Jayanthi Natarajan. Do you want to move them?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: No, Madam, I am not moving them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Amendment No. 49 is by Shrimati Sarla Maheshwari. Are you moving it?

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं अपने संशोधन को वापस लेती हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Amendment No. 67 is by Miss Khaparde. She is not here. Only Mr. Ahluwalia has pressed for his amendments. I am putting Amendment Nos. 9 and 10 to vote.

Amendments Nos. 9 and 10 were negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put clause 4 to vote. The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5—Officers and other Employees of the Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
We shall now take up clause 5 into consideration. There are three amendments. Amendment Nos. 29 and 30 are by Shrimati Jayanthi Natarajan. Do you want to move?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I have so much confidence in the Minister that I don't want to move it.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
That is right.

Amendment No. 50 is by Shrimati Sarla Maheshwari. Are you moving it

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय उपसभापति महोदया, मैं आशा करती हूँ कि मंत्री महोदया हमारी आशाओं को अच्छे ढंग से पूरा करेंगे। इसलिये मैं अपना संशोधन वापस लेती हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
I shall now put clause 5 to vote.

The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.
Clause 5 was added to the Bill.
Clause 6 was added to the Bill.*

Clause 7—Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission

THE DEPUTY CHAIRMAN:
We shall now take up clause 7 into consideration. There is one amendment, No. 68 by Shri Shabbir Ahmad Salaria. Are you moving your amendment?

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Madam, I move:

68. "That at page 3, line 29, after the word 'Commission' the words 'and the recommendations of the Commission shall be binding on the Government' be inserted."

I will make a small submission. My submission is that there is no

provision in the Act that the recommendations of the Commission shall have binding effect on the Government. The Government may or may not agree with that. Nowhere has it been provided. Please read the Bill. If a provision is there, I will withdraw it. In clause 7 it has been said:

"No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Commission."

Thereafter I have added:

"and the recommendations of the Commission shall be binding on the Government".

I have requested that the Bill be so amended. The hon. Minister may kindly make a note of it. It is not a mere amendment for the sake of amendment. It is very necessary for the survival and effective implementation of the purposes for which this Bill is being passed. This should be there so that the recommendations of the Commission shall be binding on the Government. There is no provision whereby it is binding on the Government. Other things in this regard, which I said earlier, should also be taken into consideration.

If the Government accepts my amendment, it will make the Commission effective. Otherwise it will be simply a piece of paper or a paper-tiger. Therefore, I am pressing my amendment.

The question was put and the motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
The question is:

"That Clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

[The Deputy Chairman]

CLAUSE 9

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Madam, I move:

12. "That at page 4, line 3, *after* the words 'think fit' the words 'but six months shall not intervene between its last sitting and the next sitting' be *inserted*."

नेशनल कमीशन फार वूमन बिल में सारे प्रावधान रखे हैं परन्तु इस बात का पता नहीं चलता कि यह कमीशन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इसमें यह प्रावधान नहीं है कि इसकी मीटिंग कब-कब होगी और कैसे होगी। इसमें लिखा है कि—

"The Commission or committee thereof shall meet as and when necessary and shall meet at such time and place as the Chairperson may think fit."

यह कैसी बात है? मैंने जो अमेंडमेंट दिया है वह बहुत साधारण सा है।

after the words "think fit" the words "but six months shall not intervene between its last sitting and the next sitting" be *inserted*.

उपसभापति महोदया, मेरा कहना यह है कि कहीं यह तानाशाह न हो जाय कि चैयरपरसन की इच्छा होगी तब मीटिंग बुलायेंगे और जहां इच्छा होगी वहां बुलायेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिये। कानून में यह प्रावधान होना चाहिये कि जो मीटिंग पहले हुई थी और दूसरी मीटिंग में 6 महीने से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए इसलिये इस विषय में मैंने अपना अमेंडमेंट दिया है।

The question was put and the motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
The question is:

"That Clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

CHAPTER—III

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I move:

33. "That at page 4, line 10 *for* the words 'FUNCTIONS OF THE COMMISSION' the words 'POWERS AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION' be *substituted*."

The question was proposed.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I hope that the Government itself will accept it. I think it is very important that the Commission should have powers, not just functions. The question of attitude should be there, because right from the time we are born till the time we die, only thing before us is the object to be used. That is why I say what you have written down as functions should rightly include powers. Madam, I am going to press my amendment in clause 10 not regarding the title. But I just want to point out that it is very wrong to say that Women Commission will only have all these functions. They have to do (a), (b), (c) and (d). Without saying what are the powers which they have to do it is difficult for the Commission to function. We need a sword arm. What is the sword arm? We need where? These people can go out and make sure that the rights of women are protected. If you only call them functions and we only make 2500 recommendations and none of them are implemented, then, the Commission has to go with a begging bowl to hundred different people asking them to implement them. Therefore, I think it is very unfortunate that it does not have Constitutional base or that the powers are not provided. As far as the title is concerned, I am withdrawing. But

I may be permitted to speak on another amendment.

The amendment No. 33 was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
On Clause 10, there are 18 amendments. Amendment Nos. 13 and 15 by Shrimati Veena Verma and Shri Kapil Verma. Shrimati Veena Verma, are you moving your amendments?

SHRIMATI VEENA VERMA:
Madam, I am not pressing my amendments.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Amendment Nos. 14, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 by Shri S.S. Ahluwalia. Mr. Ahluwalia, are you moving your amendments?

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Yes, Madam.

Clause 10—Functions of the Commission

SHRI S. S. AHLUWALIA:
Madam, I move:

14. "That at page 4, line 14, *after* the words 'other laws' the words 'particularly relating to Dowry prohibition, indecent representation of women, succession. etc.' be inserted."

16. "That at page 4, *after* line 30, the following be inserted, namely:—

"(ia) atrocities on women particularly offences of rape, molestation and sexual harassment of women either by their relatives, employers, landlords, superior officers in the organisations they are employed with, police officers or by any one who is in a position to take advantage of the position of woman concerned."

17. "That at page 5, lines 17-18, *after* the words 'Central Government' the words 'or by any womens' organisation' be inserted."

18. "That at page 5, line 20, *after* the words 'House of Parliament' the words 'within ninety days of the receipt of the reports or during any day of the Session of Parliament subsequent to receipt of the reports, whichever is earlier' be inserted."

19. "That at page 5, line 27, *after* the words 'Legislature of the State' the words 'within ninety days of the receipt of the reports or during any day of the Session of Legislature subsequent to receipt of the reports, whichever is earlier.' be inserted."

20. "That at page 5, line 33, the word 'civil' be deleted."

21 "That at page 5, *after* line 36, the following be inserted, namely:—

'(aa) issuing warrants of arrest on non-compliance of summoning or attendance."

The questions were proposed.

संशोधक, I move the amendment.

मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि नेशनल कमिशन आन वीमेन बिल बाहर से दिखाने के लिये तो महिलाओं को बहुत कुछ दे रहा है पर एक मीटिंग बुलाने के लिये जो बात कहनी थी उसमें "नो" की आवाज सुनाकर मुझे बड़ा निराश किया गया और मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान की 52 प्रतिशत महिलायें भी इसी तरह इस बिल से निराश होंगी क्योंकि एक छोटी सी बात है जिसको एक घेरे में रखने की कोशिश की गयी है लेकिन उस कोशिश को भी नाकाम करने की कोशिश सरकार के पक्ष ने की। जहाँ महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात आती है, जहाँ महिलाओं की बात करने की बात आती है और दुर्भाग्य तो और भी है कि जब एक वीमेन बिल पास हो रहा है, चेयर पर भी महिला बैठी है और मंत्री भी महिला हैं तथा एक पुरुष उसको मूव कर रहा

[Shri S. S. Ahluwalia]

है तो भी वह अमेंडमेंट हार गया। दुर्भाग्य इसी बात का है।

महोदया, मैं अपने 14वें अमेंडमेंट पर कहना चाहता हूँ—

“That at page 4, line 14, after the words ‘other laws’ the words ‘particularly relating to Dowry prohibition, indecent representation of women, succession etc.’ be inserted”.

मैं अपने 16वें अमेंडमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ कि नम्बर 10, 1 की एफ के सब क्लॉज 1 के “डिप्राइवेशन राइट” के बाद मैं चाहता हूँ कि 1ए में”

“(ia) atrocities on women particularly offences of rape, molestation and sexual harassment of women either by their relatives, employers, landlords, superior officers in the organisations they are employed with, police officers or by any one who is in a position to take advantage of the position of women concerned.”

मेरा 17वां अमेंडमेंट है कि

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing for all the amendments?

SHRI S. S. AHLUWALIA: Let me speak first.

उपसभापति : थोड़ा बोलिये, जल्दी जल्दी बोल दीजिये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : थोड़ा ही बोल रहा हूँ। मैं पूरे बिल पर नहीं बोल रहा हूँ।

यहां पर कह गया है कि सिर्फ सरकार जिन याचिकाओं को इस कमीशन के पास भेजेगी उन्हीं पर ही विचार होगा। मेरा कहना है कि सरकार क्यों भेजेगी? सरकार संसर करके भेजेगी। कोई भी महिला संगठन, कोई भी महिला आर्गेनाइजेशन, वालंटरी आर्गेनाइजेशन

अगर किसी पिटीशन को, ग्रीवासेज पिटीशन को लिखकर भेजे तो इस नेशनल वीमेन कमीशन को उस पर विचार करना चाहिए, यह मेरा कहना है।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): It is a very good suggest.on. I think the Government should give some assurance.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Madam, because of lack of time, the Members who had moved the amendments would not speak. I have come only when they were speaking. I find that they have made some very cogent points which are completely unanswered by them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Every Member who is moving is allowed to speak. He is permitted to speak. (Interruptions).

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैडम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदया, इस पर गौर फरमायेंगी और कम से कम सोचेंगी कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह महिलाओं के हक में है या उनके विरोध में है और सदन को आश्वासन दें।

दूसरी बात, मेरा 18वां जो अमेंडमेंट है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। यहां इन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट आएगी, पर इन्होंने कोई समय का प्रावधान नहीं बनाया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि—

“That at page 5, line 20, after the words ‘House of Parliament’ the words ‘within ninety days of the receipt of the reports or during any day of the Session of Parliament subsequent to receipt of the Reports, whichever is earlier’ be inserted.”

उसी तरह 19वां मेरा अमेंडमेंट जो है —

“That at page 5, line 27, after the words ‘Legislature of the States’ the

words 'within ninety days of the receipt of the reports or during any day of the Session of Legislature subsequent to receipt of the Reports, whichever is earlier' be inserted."

महोदया, अज जो नेशनल फ्रंट की सरकार है, इन्होंने अपने मेनिफेस्टो में राईट टु इनफमेशन का नारा बहुत ज़ोरों से चलाया है और यह राईट टु इनफमेशन का नारा तभी परिपक्व हो सकता है, तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जब यह रिपोर्ट्स सदन में रखी जाएं और वहस की जाए और उसकी टर्म लिमिट को—1983 की रिपोर्ट 1992 में पुट अप की जाए, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। 90 डेज़ का समय निर्धारित किया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है।

तीसरा, अपना अमेंडमेंट नं. 20, जहां पर सिविल कोर्ट की बात कही है—आम लोगों को पता है कि सिविल कोर्ट, कहीं भी कोई मुकदमा हो जाए, तो लोग केस को डिले करने के लिए सिविल कोर्ट में डाल देते हैं।

That at page 5, line 33, the word "civil" be deleted.

मेरा सिर्फ यह कहना है कि "कोर्ट" की जगह से "सिविल कोर्ट" डिलीट कर दिया जाए। कोई भी कोर्ट में इसका फौसला करने के लिए जा सकते हैं। उसका बंदोबस्त किया जाए।

चौथा, जो मेरा 21वां अमेंडमेंट है, वह है—

"That at page 5, after line 36, the following be inserted namely:—

(aa) issuing warrants of arrests on non-compliance of summoning or attendance."

क्योंकि इसमें वारंट का कोई प्रावधान नहीं रखा है। अगर कोई आदमी इसका नोटिस देता है, सम्मान करते हैं, वह नहीं आता है, उसके नाम पर वारंट निकाला

जा सके। कचहरियों से इसका प्रावधान रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राईट टु एक्सप्रेस, राईट टु इनफमेशन और सारे संरक्षणों को रखने वाली सिविल लिबर्टीज करने वाले लोगों की मंत्री साहिबा, मंत्राणी महोदया, इस हाऊस को अशोरेस देंगी कि यह जो अमेंडमेंट है, इनको जरूर मानेंगे और इस पर विचार करेंगी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Jayanthi Natarajan to move her amendments no. 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 64.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I beg to move:

34. "That at page 4, line 23 after the words 'legislative measures' the words 'including new measures' be inserted."

35. "That at page 4, lines 35-36 for the words 'mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to women' the words 'improve women's status and participation in all aspects of national importance' be substituted."

36. "That at page 4, line 45 the words 'promotional and educational' be deleted."

37. "That at page 5, for lines 14 to 16 the following be inserted, namely:—

(m) make periodical reports to the President on the results of his investigations and recommendations thereon. Such reports to be placed before Parliament within six months from their submission along with Government's explanations and views on the recommendations for a full discussion by Parliament."

38. "That at page 5, after line 18, the following be inserted, namely:

(n) before introducing any Policy affecting women's status and rights Government shall obtain the Commission's considered advice thereon."

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

39. "That at page 5, lines 31-32, the words 'referred to in clause (a) or sub-clause (i) of clause (f) of sub-section (1) to be deleted."

64. "That at page 4, after line 27, the following be inserted, namely:—

'(ee) direct the filing of a complaint, petition or any other proceeding in any Court of law to enforce the rights of women so as to secure appropriate relief under law.' "

The questions were proposed.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I am not pressing amendment no. 34, 35, 36, 37, 38. I am not pressing the amendments. But, Madam, I want to say one word about amendment no. 39. This is with regard to powers of the civil court. I do not want to take the time of the House. So, I would say just two sentences about it. This is the only issue on which I want to place on record a small grievance I have against the hon. Minister. I feel that she need not have called a Press conference before the Bill came up in the Rajya Sabha. As soon as Lok Sabha passed the Bill, she called a Press conference and told them all the terms of the Bill and certain remarks have been made. I think she should have waited until it was passed before the Rajya Sabha. I feel sorry that she did not do it. The reason why I am saying is in that Press conference she has said that the Commission will have all the powers of the Civil court. As a matter of fact, if the reporting is correct, that is not correct because in this clause, you have the powers of a Civil court, only for two clauses in clause 10. Madam, it says that the Commission, while investigating any matter referred to in clause (a) of sub-clause (i) of clause (f) of sub-section (1) have all the powers of a Civil court. It will not have the powers of a civil court for anything else. According to the Act, I think it is very wrong. If the Minister has said in the Press conference, that it has all the powers of a Civil court, that is not correct. Now, my amend-

ment is that this restriction be removed and the words 'that all the powers of a Civil court' should alone remain. I am sure she will take that into consideration. Therefore, I am not pressing this amendment.

Now, I want to say something about Amendment No. 64. It is very important. I want to read out. Clause (c) says 'to take up the cases of violation of the provisions of the Constitution and of other laws relating to women with the appropriate authorities'. This is just not enough. As I said earlier, we need a provision by which the Commission can function as a dynamic body. It is not enough just to call for documents. Nobody cares. You just send the document and sit back. We know the manner in which they are all functioning today. Everybody has complaints about harassment against women, about harassment in work and so on. These are not taken seriously. Therefore, if the Commission has to be taken seriously, it has to have some powers. It has to have some legal sanctions. It is therefore that I have moved this amendment by which I suggest as follows:

'(ee) direct the filing of a complaint, petition or any other proceeding in any Court of law to enforce the rights of women so as to secure appropriate relief under law.'

THE DEPUTY CHAIRMAN: Amendment No. 51. Shrimati Sarla Maheshwari.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं अमेंडमेंट वापस लेती हूँ ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I move:

63. "That at page 4, after line 42, the following be inserted, namely:—

'(gg) investigate into the cases of atrocities on women and recommend to the Government for appropriate action;

(ggg) look into service matters and injustices to women in service for appropriate remedy."

The question was proposed.

SHRI V. NARAYANASAMY: I have moved two important amendments. One is about the investigating into cases of atrocities on women and recommending to the Government for appropriate action. As far as women are concerned, there are umpteen legislations. But these legislations have not been implemented in the right spirit. My apprehension is that this Bill should not become a paper tiger. Therefore, I want the Government to give teeth to the authority ought to be created by this legislation so that the provisions can be implemented in right earnest. Madam, we know the atrocities on women, especially rape, dowry death, etc. They are being hushed up. Voluntary organisations are taking up the matter for purposes of ventilating the grievances of women. Now I want the authority, the Commission, to investigate into the matter on the basis of which they should recommend to the Government the appropriate action. We know fully well that various political parties are trying to hush up the cases. They are trying to help the culprits. This is happening. I want to give a small example of a political leader who has been supporting 'sati'. This is a clear case of violation and she can be rightly punished under the existing provisions. But what is happening? When 'sati' prevention provisions are there and when political leaders are openly supporting 'sati'.....(*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Who is that?

SHRI V. NARAYANASAMY: The Vice-President of the BJP, Vijaya Raje Scindia, is supporting 'sati'.

This is how women's rights are being curbed and even leaders are supporting the 'sati' activity. Every day we come across atrocities on the weaker sections of the society, especial-

ly the Harijan community and the persons who are living below the poverty-line. They are being raped. It is a sorry state of affairs that women are not being given protection in this country. Therefore, I want the Commission to have more powers.

Another important aspect is about service matters. This Bill is silent about service matters, on giving protection to women in service services, in Government services.

Madam, in this matter I would like to say that there are surveys conducted by the Ministry of Personnel. About nine hundred women were sent a questionnaire. All of them have given the categorical version that they have been unable to serve in their houses and could not take care of their children; in service matters, they have not been given sensitive postings and indiscriminate transfers are being made and, moreover, in promotions they are not given their due place. Therefore, Madam, I want the Commission to look into the Service matters also. I hope the Minister will consider this when he considers the proposals for implementation of this. With these words, I withdraw the amendment.

The amendment 63 was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I put amendment Nos. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38, and 39 to vote.

The amendments were negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11 (Grants by the Central Government)

THE DEPUTY CHAIRMAN:
There are some amendments to clause 11. Shrimati Jayanthi Natarajan, do you want to move your amendment No. 40?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: No, I am not moving.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
What about your amendment No. 52, Shrimati Sarla Maheshwari?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैं मूव नहीं कर रही हूँ ।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Now I put Clause 11 to vote. The question is :

“That Clause 11 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 (Accounts and Audit)

THE DEPUTY CHAIRMAN:
There is one amendment to Clause 12. Shrimati Sarala Maheshwari, are you moving your amendment No. 53?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैं मूव नहीं कर रही हूँ ।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Now I put Clause 12 to vote. The question is :

“That Clause 12 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13 (Annual Report)

THE DEPUTY CHAIRMAN:
There are some amendments to Clause 13. Shrimati Jayanthi Natarajan, are you moving your amendment No. 41

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: No, I am not moving.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
What about your amendment No. 54, Shrimati Sarala Maheshwari.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैं मूव नहीं कर रही हूँ ।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Now I put Clause 13 to vote. The question is :

“That Clause 13 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 (Annual report and audit report to be laid before Parliament)

THE DEPUTY CHAIRMAN :
There is a amendment to Clause 14. Are you moving your amendment No. 55, Shrimati Sarla Maheshwari ?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैं मूव नहीं कर रही हूँ ।

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Now I put Clause 14 to vote. The question is :

“That Clause 14 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16 (Central Government to consult Commission)

THE DEPUTY CHAIRMAN:
There are two amendments to Clause 16. Are you moving your amendment No. 42, Mrs. Jayanthi Natarajan?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : No, I am not moving.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
What about your amendment No. 56, Mrs. Sarala Maheshwari ?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैं मूव नहीं कर रही हूँ ।

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Now I put Clause 16 to vote. The question is :

“That clause 16 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clause 17 (Power to make rules).

THE DEPUTY CHAIRMAN :
There are three amendments to Clause 17. Are you moving your amendment Nos. 43,44 and 45, Mrs. Jayanthi Natarajan?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : No, Madam, I am not Moving.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
Now I put Clause 17 to vote. The question is:

“That Clause 17 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI USHA SINGH :
Madam, I move:

“That the Bill be passed.”

The question was proposed.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Madam, ...

THE DEPUTY CHAIRMAN :
You want to say something. Please speak, but be brief, please.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Madam Deputy Chairman, while supporting the Bill I would like to say that this country indeed can set

the standards for the world to follow, but the culture of this country is such that it gives women a position of power. In fact, in Lord Brahma's cabinet the three most important portfolios were held by women. Finance for Lakshmi, education for Saraswati and defence for Durga. Similarly, when the great debate took place between Mundan Mishra and Sankaracharya, it was a woman who was the judge and who had a greater religious understanding. I would like to say that the debate may have created the impression that somehow this country is the worst as far as treatment of women is concerned, but if we went back to our traditions and culture, women would have easily a more equal power status than in any other country. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN :

The question is--

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

उपसभापति : मंत्री जी का पहला बिल पास हो गया। Congratulations.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया
धन्यवाद देना।

श्रीमती उषा सिंह : धन्यवाद।

[The Vice-Chairman (Shri Shankar Dayal Singh) in the Chair]

I. RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO JAMMU AND KASHMIR.

II. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF ARMED FORCES (JAMMU AND KASHMIR) SPECIAL POWERS ORDINANCE, 1990.